



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/13680-779

दिनांक: 31.12.2024

कार्यालय आदेश

दिनांक 27.12.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, श्रीमती सुनीता कश्यप, अवर सचिव को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-12 में **उप सचिव** के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा पदोन्नति पर उनकी नवीन तैनाती **क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून** में की जाती है।

उपर्युक्त अधिकारी को दिनांक 02.01.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निदेशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उनके दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त न होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित माना जाएगा। उनकी पदोन्नति नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त अधिकारी को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार उप सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरान्त वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।

P. S.
31.12.24
(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. संबंधित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्क्रेप फाइल/सूचना पट्ट।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

No. CBSE/Rectt.Cell/1(13)/2024/134280-379

Dated: 31.12.2024

OFFICE ORDER

Consequent upon the recommendations of the Review Departmental Promotion Committee meeting held on 30.12.2024 for the post of Deputy Secretary (IT) and subsequent approval by the Competent Authority of the Board, **Sh. C. Ravi, Under Secretary (IT)** is hereby given promotion to the post of Deputy Secretary (IT) in the Pay Level-12 of 7th CPC on notional basis w.e.f. 01.10.2024 {i.e. from the date of joining of his immediate senior Smt. M. Vijaylakshmi to the post of Deputy Secretary (IT)} and he is posted at **Regional Office, Bhopal** to the post of Deputy Secretary (IT).

He is directed to give his consent to the Joint Secretary (A&L) latest by 02.01.2025 and his promotion will take effect from the date of his joining at the respective place of posting.

He shall be eligible for benefits of seniority and fixation of pay on notional basis and will be placed below Smt. M. Vijaylakshmi, Deputy Secretary (IT) and shall not be eligible for any arrears of salary.

He is also directed to furnish his option towards fixation of pay on notional promotion of his joining to the post in accordance to FR 22(I)(a)(1).


(Himanshu Gupta)
Secretary

Distribution:-

1. Deputy Secretary to Chairman, CBSE for kind information of the Hon'ble Chairman, CBSE.
2. All Heads of Departments/Regional Directors of the Board.
3. Joint Secretary (A&L)/(Coordination)/(IT)/IAFA.
4. All the Regional Officers/Heads of CoEs/ACCPD Raebareli.
5. Under Secretary (IT), Headquarters – for updation in eHRMS.
6. All officers of the Board upto the level of Section Officer.
7. DDO concerned.
8. Individual concerned.
9. President, Shiksha Board Staff Welfare Association.
10. DA (APAR/Vig./GSLI).
11. Personal file of the incumbent.
12. Hindi Cell, CBSE, Headquarter for Hindi Translation.
13. Scrap file/Guard File/Notice Board.



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/134380-479 दिनांक: 31.12.2024

कार्यालय आदेश

दिनांक 30.12.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित अवर सचिव (आई.टी.) को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-12 में उप सचिव (आई.टी.) के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्रीमती सुदेश गुलिया	प्रशिक्षण एकक, दिल्ली (under transfer to RO, Panchkula)	क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम
2.	श्री विकास पाठक	परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़
3.	श्री अजय कुमार मिश्रा	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर

उपर्युक्त क्रमांक 1 पर अंकित अधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वह उनके संबंधित नवीन क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यशील (functional) होने तक पदोन्नति उपरांत प्रशासन-आई.टी. शाखा, मुख्यालय से संबद्ध (attached) रहेंगे।

उपर्युक्त अधिकारियों को दिनांक 02.01.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निदेशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारियों के दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त अधिकारियों को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार उप सचिव (आई.टी.) के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।


21.12.24
(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



शिक्षा केंद्र, 2, सामुदायिक केंद्र प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

Phone (off) : 011-27609256, 59 22641807, 08 4167012; Fax : 011-27609256, 59 22641807



Digital India
Power To Empower





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं.: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/13780-879

दिनांक: 31.12.2024

कार्यालय आदेश

दिनांक 27.12.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित सहायक सचिवों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-11 में **अवर सचिव** के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्रीमती सुषमा ग्रोवर (सेवानिवृत्ति: 31.07.2025)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)
2.	श्रीमती वीना गुप्ता	क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा	व्यवसायिक परीक्षा, दिल्ली
3.	श्री शम्भू प्रसाद	ए.सी.सी.पी.डी., रायबरेली	क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज
4.	श्री रंजीत कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	ए.सी.सी.पी.डी., रायबरेली
5.	श्री वी. के. जयरमन (सेवानिवृत्ति: 31.12.2024)	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई
6.	श्रीमती के. जयलक्ष्मी (सेवानिवृत्ति: 31.01.2025)	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई
7.	श्री के. वी. मोहनन	क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई
8.	सुश्री नबनीता सरमाह	क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना
9.	श्री मनोज कुमार	सतर्कता शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
10.	श्री प्रांजल साइकिआ	संबद्धता शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम
11.	श्री निशांत कुमार गोयल	क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला
12.	श्री सुनीत शर्मा	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई
13.	श्री सतीश कुमार भोरिआ	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला
14.	श्री राजेंद्र कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	सतर्कता शाखा, मुख्यालय

उपर्युक्त क्रमांक 3 एवं 4 पर उल्लेखित अधिकारियों को प्रशासनिक कारणों से उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर दिनांक 31.05.2025 तक पदासीन रखा जाएगा एवं उन्हें दिनांक 31.05.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा।

उपर्युक्त क्रमांक 9 एवं 10 पर उल्लेखित अधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वह उनके संबंधित नवीन क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यशील (functional) होने तक पदोन्नति उपरांत अपने वर्तमान स्थान पर कार्यरत रहेंगे।

उपर्युक्त अधिकारियों को दिनांक 02.01.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निदेशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारियों के दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त अधिकारियों को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार अवर सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।


31.12.24
(हिमांशु गुप्ता)
सचिव





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

-2-

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/13880-979 दिनांक: 31.12.2024

कार्यालय आदेश

दिनांक 27.12.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-10 में सहायक सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्री राजेश कटारिया	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला	क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा
2.	श्रीमती ममेट्र	भर्ती शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम
3.	श्रीमती रेनु भंडारी	उत्कृष्टता केंद्र, पंचकुला	मीडिया एवं जन-संपर्क शाखा, मुख्यालय
4.	श्री अजय कुमार घेवड़े	समन्वय शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर
5.	श्री कुलदीप सिंह	क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई

उपर्युक्त क्रमांक 2 पर उल्लेखित अधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वह उनके संबंधित नवीन क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यशील (functional) होने तक पदोन्नति उपरांत अपने वर्तमान स्थान पर कार्यरत रहेंगे।

उपर्युक्त अधिकारियों को दिनांक 02.01.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निदेशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारियों के दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त अधिकारियों को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार सहायक सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

कार्यालय ज्ञापन संख्या: सीबीएसई/कार्मिक बी/विविध/2019/1416 दिनांक 04.01.2019 के अनुसार उपरोक्त सभी अधिकारी समूह 'ब' से समूह 'अ' में सहायक सचिव के पद पर पदोन्नति होने पर 02 वर्षों की अवधि के लिए परिविक्षा (probation) पर रहेंगे।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।

(New)
31.12.24
(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आई.एफ.ए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्क्रेप फाइल/सूचना पट्ट।



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

Phone (toll free) : 011-29509250-59 29841807, 338 Website : www.cbse.gov.in www.cbse.ac.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/13980-14079 दिनांक: 31.12.2024

कार्यालय आदेश

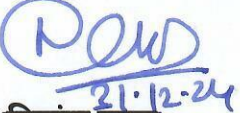
दिनांक 27.12.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, श्रीमती कविता निगम, निजी सचिव को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-10 में **वरिष्ठ निजी सचिव** के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा पदोन्नति पर उनकी नवीन तैनाती **क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून** में की जाती है।

उपर्युक्त अधिकारी को दिनांक 02.01.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निदेशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारी के दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त न होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त अधिकारी को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

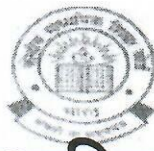
कार्यालय ज्ञापन संख्या: सीबीएसई/कार्मिक बी/विविध/2019/1416 दिनांक 04.01.2019 के अनुसार उपरोक्त अधिकारी समूह 'ब' से समूह 'अ' में वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर पदोन्नति होने पर 02 वर्षों की अवधि के लिए परिविक्षा (probation) पर रहेंगे।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।


(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण:

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/134080-179 दिनांक: 31.12.2024

कार्यालय आदेश

दिनांक 27.12.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित कनिष्ठ लेखा अधिकारियों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-10 में लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्री वरुण कपूर	क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला
2.	श्री अश्वनी श्रीवास्तव	शैक्षणिक एकक, दिल्ली	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर
3.	श्री हिमांशु जोनवाल	सी.टी.ई.टी. एवं विविध परीक्षा शाखा, दिल्ली	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर
4.	श्रीमती शिखा मंडोलिया	लेखा एकक, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल
5.	श्रीमती निकिता सैनी	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला	शैक्षणिक एकक, दिल्ली
6.	श्रीमती बिमलेश	लेखा एकक, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ

उपर्युक्त क्रमांक 3 एवं 6 पर उल्लेखित अधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वह उनके संबंधित नवीन क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यशील (functional) होने तक पदोन्नति उपरांत अपने वर्तमान स्थान पर कार्यरत रहेंगे।

उपर्युक्त अधिकारियों को दिनांक 02.01.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निदेशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारियों के दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त अधिकारियों को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

कार्यालय ज्ञापन संख्या: सीबीएसई/कार्मिक बी/विविध/2019/1416 दिनांक 04.01.2019 के अनुसार उपरोक्त सभी अधिकारी समूह 'ब' से समूह 'अ' में लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति होने पर 02 वर्षों की अवधि के लिए परिविक्षा (probation) पर रहेंगे।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।


31.12.24
(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आई.ए.एफ.ए.)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/134180-279 दिनांक: 31.12.2024

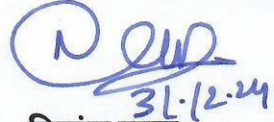
कार्यालय आदेश

दिनांक 27.12.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, श्रीमती शक्ति शर्मा, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, शैक्षणिक शाखा, दिल्ली को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-10 में सहायक सचिव (राजभाषा) के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा पदोन्नति पर उनकी नवीन तैनाती व्यवसायिक शाखा, दिल्ली में की जाती है।

उपर्युक्त अधिकारी को दिनांक 02.01.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निदेशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारी के दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त न होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त अधिकारी को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार सहायक सचिव (राजभाषा) के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

कार्यालय ज्ञापन संख्या: सीबीएसई/कार्मिक बी/विविध/2019/1416 दिनांक 04.01.2019 के अनुसार उपरोक्त अधिकारी समूह 'ब' से समूह 'अ' में सहायक सचिव (राजभाषा) के पद पर पदोन्नति होने पर 02 वर्षों की अवधि के लिए परिविक्षा (probation) पर रहेंगे।


(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं.: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/13080-179

दिनांक: 31.12.2024

कार्यालय आदेश

दिनांक 23.12.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित अधीक्षकों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-7 में अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कर्मचारी सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	1466	श्री जितेश कुमार ठाकुर	सचिव कार्यालय, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम
2.	1447	श्री ए.सी. कृष्ण कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनंतपुरम
3.	1394	श्री यशपाल	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला
4.	1168	मो. इब्राहिम खान	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई
5.	1169	श्री कौशल किशोर	रख-रखाव एकक, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी
6.	1520	श्री सतीश चंद्र शर्मा	सतर्कता शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर
7.	1084	श्री छोटे लाल	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
8.	940	श्री बोम बहादुर अले	आर. एंड आई. शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
9.	1378	श्रीमती युक्ति	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
10.	1567	श्रीमती बबिता रानी	कौशल शिक्षा एकक, दिल्ली	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़
11.	1559	श्रीमती अपराजिता पंडित	प्रशासन-II एवं III, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
12.	1568	श्रीमती शोभा सुन्दरियाल	कार्मिक-अ, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
13.	1557	श्रीमती मोनिका अरोड़ा	संबद्धता शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
14.	1564	श्रीमती ईशू कवात्रा	सतर्कता शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम
15.	1594	श्री अशोक कुमार गुप्ता	क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	कार्मिक-ब शाखा, मुख्यालय
16.	1565	श्री पी. श्रीनिवासराव	क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा	क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनंतपुरम
17.	1219	श्री आनंद कुमार भारती	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर
18.	1212	श्री हरिओम सरन	सी.टी.ई.टी. एवं विविध परीक्षा शाखा, दिल्ली	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना
19.	1038	श्री तलेन अथांग कॉम	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	उत्कृष्टता केंद्र, बेंगलुरु
20.	749	श्री लगनु मुंडा	क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना

उपर्युक्त क्रमांक 1, 6, 7, 8, 9, 12 तथा 17 पर उल्लेखित कर्मचारियों को निदेशित किया जाता है कि वह उनके संबंधित नवीन क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यशील (functional) होने तक पदोन्नति उपरांत अपने वर्तमान स्थान पर कार्यरत रहेंगे।

उपर्युक्त क्रमांक 11 पर उल्लेखित कर्मचारी को प्रशासनिक कारणों से उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर दिनांक 31.05.2025 तक पदासीन रखा जाएगा एवं उन्हें दिनांक 31.05.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा।

उपर्युक्त कर्मचारियों को दिनांक 02.01.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त कर्मचारियों के दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।


21.12.24



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

-2-

उपर्युक्त कर्मचारियों को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।


(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण:

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव – माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/ए.सी.सी.पी.डी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. संबंधित डीडीओ।
8. संबंधित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्क्रेप फाइल/सूचना पट्ट।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो. /भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/13280-379 दिनांक: 31.12.2024

कार्यालय आदेश

दिनांक 23.12.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित वरिष्ठ लेखाकारों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-7 में कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्री नितिन कुमार दीक्षित	वित्त शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज
2.	श्रीमती आँचल शर्मा	प्रशिक्षण शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम

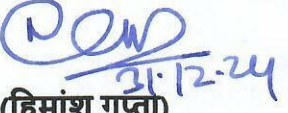
उपर्युक्त क्रमांक 2 पर अंकित कर्मचारी को निदेशित किया जाता है कि वह उनके संबंधित नवीन क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यशील (functional) होने तक पदोन्नति उपरांत वित्त शाखा, मुख्यालय से संबद्ध (attached) रहेंगे।

उपर्युक्त कर्मचारियों को दिनांक 02.01.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निदेशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त कर्मचारियों के दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त कर्मचारियों को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर की गई पदोन्नति अंतिम परिणाम (final outcome) के अधीन है जोकि Hon'ble CAT-PB, New Delhi के समक्ष Original Application (OA) No. 2618/2019 में लंबित है।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।


(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण:

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो. /भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/ 13180-279

दिनांक: 31.12.2024

कार्यालय आदेश

दिनांक 23.12.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित निजी सहायकों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-7 में निजी सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कर्मचारी सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	1271	श्रीमती कुसुम गोस्वामी	संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) कार्यालय, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम
2.	1306	श्रीमती किरण	कौशल शिक्षा, दिल्ली	उत्कृष्टता केंद्र, पंचकुला

उपर्युक्त क्रमांक 1 पर अंकित कर्मचारी को निदेशित किया जाता है कि वह उनके संबंधित नवीन क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यशील (functional) होने तक पदोन्नति उपरांत अपने वर्तमान स्थान पर कार्यरत रहेंगे।

उपर्युक्त कर्मचारियों को दिनांक 02.01.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निदेशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त कर्मचारियों के दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त कर्मचारियों को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार निजी सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।


(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण:

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव – माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/ए.सी.सी.पी.डी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. संबंधित डीडीओ।
8. संबंधित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो. /भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/13480-579

दिनांक: 31.12.2024

कार्यालय आदेश

दिनांक 23.12.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित लेखाकारों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-6 में वरिष्ठ लेखाकार के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कर्मचारी सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	1656	सुश्री ईशा गुप्ता	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	कौशल शिक्षा एकक, मुख्यालय
2.	1657	सुश्री मेघा दयाल	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	वित्त शाखा, मुख्यालय
3.	1662	श्री गोविन्द तिवारी	वित्त शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)
4.	1667	श्रीमती दीपा रावत जैन	क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा	शैक्षणिक एकक, राउज़ एवेन्यू
5.	1665	श्री अजय सेमवाल	कौशल शिक्षा एकक, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा
6.	1669	श्रीमती निहारिका पांडेय	शैक्षणिक एकक, राउज़ एवेन्यू	वित्त शाखा, मुख्यालय
7.	1663	श्री कंचन कुमार	वित्त शाखा, मुख्यालय	सी.टी.ई.टी. एवं विविध परीक्षा शाखा, दिल्ली

उपर्युक्त कर्मचारियों को दिनांक 02.01.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निदेशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त कर्मचारियों के दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त कर्मचारियों को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार वरिष्ठ लेखाकार के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

कार्यालय ज्ञापन संख्या: सीबीएसई/कार्मिक बी/विविध/2019/1416 दिनांक 04.01.2019 के अनुसार उपरोक्त सभी कर्मचारी समूह 'सी' से समूह 'बी' में अधीक्षक के पद पर पदोन्नति होने पर 02 वर्षों की अवधि के लिए परिविक्षा (probation) पर रहेंगे।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।


(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण:-

1. अध्यक्ष, के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/ए.सी.सी.पी.डी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. संबंधित डीडीओ।
8. संबंधित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्क्रेप फाइल/सूचना पट्ट।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/13580-679

दिनांक: 31.12.2024

कार्यालय आदेश

दिनांक 23.12.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, श्री राधे श्याम मीणा, अधीक्षक (कॉपीयर), क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-7 में पर्यवेक्षक (कॉपीयर) {Supervisor (Copier)} के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा पदोन्नति पर उनकी नवीन तैनाती क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा में की जाती है।

उपर्युक्त कर्मचारी को दिनांक 02.01.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निदेशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त कर्मचारी के दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त न होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित माना जाएगा। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त कर्मचारी को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार पर्यवेक्षक (कॉपीयर) {Supervisor (Copier)} के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।

(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण:

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव – माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/ए.सी.सी.पी.डी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. संबंधित डीडीओ।
8. संबंधित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्क्रेप फाइल/सूचना पट्ट।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/13680-779

दिनांक: 31.12.2024

कार्यालय आदेश

दिनांक 27.12.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, श्रीमती सुनीता कश्यप, अवर सचिव को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-12 में **उप सचिव** के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा पदोन्नति पर उनकी नवीन तैनाती **क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून** में की जाती है।

उपर्युक्त अधिकारी को दिनांक 02.01.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निदेशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उनके दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त न होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित माना जाएगा। उनकी पदोन्नति नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त अधिकारी को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार उप सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरान्त वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।

Pem
31.12.24
(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. संबंधित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्क्रेप फाइल/सूचना पट्ट।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

No. CBSE/Rectt.Cell/1(13)/2024/134280-379

Dated: 31.12.2024

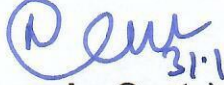
OFFICE ORDER

Consequent upon the recommendations of the Review Departmental Promotion Committee meeting held on 30.12.2024 for the post of Deputy Secretary (IT) and subsequent approval by the Competent Authority of the Board, **Sh. C. Ravi, Under Secretary (IT)** is hereby given promotion to the post of Deputy Secretary (IT) in the Pay Level-12 of 7th CPC on notional basis w.e.f. 01.10.2024 {i.e. from the date of joining of his immediate senior Smt. M. Vijaylakshmi to the post of Deputy Secretary (IT)} and he is posted at **Regional Office, Bhopal** to the post of Deputy Secretary (IT).

He is directed to give his consent to the Joint Secretary (A&L) latest by 02.01.2025 and his promotion will take effect from the date of his joining at the respective place of posting.

He shall be eligible for benefits of seniority and fixation of pay on notional basis and will be placed below Smt. M. Vijaylakshmi, Deputy Secretary (IT) and shall not be eligible for any arrears of salary.

He is also directed to furnish his option towards fixation of pay on notional promotion of his joining to the post in accordance to FR 22(I)(a)(1).


(Himanshu Gupta)
Secretary

Distribution:-

1. Deputy Secretary to Chairman, CBSE for kind information of the Hon'ble Chairman, CBSE.
2. All Heads of Departments/Regional Directors of the Board.
3. Joint Secretary (A&L)/(Coordination)/(IT)/IAFA.
4. All the Regional Officers/Heads of CoEs/ACCPD Raebareli.
5. Under Secretary (IT), Headquarters – for updation in eHRMS.
6. All officers of the Board upto the level of Section Officer.
7. DDO concerned.
8. Individual concerned.
9. President, Shiksha Board Staff Welfare Association.
10. DA (APAR/Vig./GSLI).
11. Personal file of the incumbent.
12. Hindi Cell, CBSE, Headquarter for Hindi Translation.
13. Scrap file/Guard File/Notice Board.



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/134380-479 दिनांक: 31.12.2024

कार्यालय आदेश

दिनांक 30.12.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित अवर सचिव (आई.टी.) को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-12 में उप सचिव (आई.टी.) के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्रीमती सुदेश गुलिया	प्रशिक्षण एकक, दिल्ली (under transfer to RO, Panchkula)	क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम
2.	श्री विकास पाठक	परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़
3.	श्री अजय कुमार मिश्रा	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर

उपर्युक्त क्रमांक 1 पर अंकित अधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वह उनके संबंधित नवीन क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यशील (functional) होने तक पदोन्नति उपरांत प्रशासन-आई.टी. शाखा, मुख्यालय से संबद्ध (attached) रहेंगे।

उपर्युक्त अधिकारियों को दिनांक 02.01.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निदेशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारियों के दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त अधिकारियों को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार उप सचिव (आई.टी.) के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।


21.12.24
(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



शिक्षा केंद्र, 2, सामुदायिक केंद्र प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

Phone (off) : 011-27609256, 59 22641807, 08 4167012; e-mail: shiksha@cbse.gov.in; shiksha@cbse.nic.in



Digital India
Power To Empower





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं.: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/13780-879

दिनांक: 31.12.2024

कार्यालय आदेश

दिनांक 27.12.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित सहायक सचिवों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-11 में **अवर सचिव** के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्रीमती सुषमा ग्रोवर (सेवानिवृत्ति: 31.07.2025)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)
2.	श्रीमती वीना गुप्ता	क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा	व्यवसायिक परीक्षा, दिल्ली
3.	श्री शम्भू प्रसाद	ए.सी.सी.पी.डी., रायबरेली	क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज
4.	श्री रंजीत कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	ए.सी.सी.पी.डी., रायबरेली
5.	श्री वी. के. जयरमन (सेवानिवृत्ति: 31.12.2024)	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई
6.	श्रीमती के. जयलक्ष्मी (सेवानिवृत्ति: 31.01.2025)	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई
7.	श्री के. वी. मोहनन	क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई
8.	सुश्री नबनीता सरमाह	क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना
9.	श्री मनोज कुमार	सतर्कता शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
10.	श्री प्रांजल साइकिआ	संबद्धता शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम
11.	श्री निशांत कुमार गोयल	क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला
12.	श्री सुनीत शर्मा	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई
13.	श्री सतीश कुमार भोरिआ	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला
14.	श्री राजेंद्र कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	सतर्कता शाखा, मुख्यालय

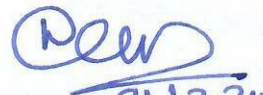
उपर्युक्त क्रमांक 3 एवं 4 पर उल्लेखित अधिकारियों को प्रशासनिक कारणों से उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर दिनांक 31.05.2025 तक पदासीन रखा जाएगा एवं उन्हें दिनांक 31.05.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा।

उपर्युक्त क्रमांक 9 एवं 10 पर उल्लेखित अधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वह उनके संबंधित नवीन क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यशील (functional) होने तक पदोन्नति उपरांत अपने वर्तमान स्थान पर कार्यरत रहेंगे।

उपर्युक्त अधिकारियों को दिनांक 02.01.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निदेशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारियों के दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त अधिकारियों को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार अवर सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।


(हिमांशु गुप्ता)
सचिव





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

-2-

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/13880-979 दिनांक: 31.12.2024

कार्यालय आदेश

दिनांक 27.12.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-10 में सहायक सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्री राजेश कटारिया	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला	क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा
2.	श्रीमती ममेन्द्र	भर्ती शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम
3.	श्रीमती रेनु भंडारी	उत्कृष्टता केंद्र, पंचकुला	मीडिया एवं जन-संपर्क शाखा, मुख्यालय
4.	श्री अजय कुमार घेवड़े	समन्वय शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर
5.	श्री कुलदीप सिंह	क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई

उपर्युक्त क्रमांक 2 पर उल्लेखित अधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वह उनके संबंधित नवीन क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यशील (functional) होने तक पदोन्नति उपरांत अपने वर्तमान स्थान पर कार्यरत रहेंगे।

उपर्युक्त अधिकारियों को दिनांक 02.01.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निदेशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारियों के दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त अधिकारियों को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार सहायक सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

कार्यालय ज्ञापन संख्या: सीबीएसई/कार्मिक बी/विविध/2019/1416 दिनांक 04.01.2019 के अनुसार उपरोक्त सभी अधिकारी समूह 'ब' से समूह 'अ' में सहायक सचिव के पद पर पदोन्नति होने पर 02 वर्षों की अवधि के लिए परिविक्षा (probation) पर रहेंगे।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।

(New)
31.12.24
(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आई.ए.एफ.ए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्क्रेप फाइल/सूचना पट्ट।



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

Phone (toll free) : 011-29509250-59 29841807, 338 Website : www.cbse.gov.in www.cbse.ac.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/13980-14079 दिनांक: 31.12.2024

कार्यालय आदेश

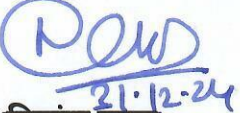
दिनांक 27.12.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, श्रीमती कविता निगम, निजी सचिव को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-10 में **वरिष्ठ निजी सचिव** के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा पदोन्नति पर उनकी नवीन तैनाती **क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून** में की जाती है।

उपर्युक्त अधिकारी को दिनांक 02.01.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निदेशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारी के दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त न होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त अधिकारी को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

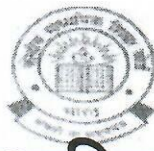
कार्यालय ज्ञापन संख्या: सीबीएसई/कार्मिक बी/विविध/2019/1416 दिनांक 04.01.2019 के अनुसार उपरोक्त अधिकारी समूह 'ब' से समूह 'अ' में वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर पदोन्नति होने पर 02 वर्षों की अवधि के लिए परिविक्षा (probation) पर रहेंगे।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।


(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण:

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/134080-179 दिनांक: 31.12.2024

कार्यालय आदेश

दिनांक 27.12.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित कनिष्ठ लेखा अधिकारियों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-10 में लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्री वरुण कपूर	क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला
2.	श्री अश्वनी श्रीवास्तव	शैक्षणिक एकक, दिल्ली	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर
3.	श्री हिमांशु जोनवाल	सी.टी.ई.टी. एवं विविध परीक्षा शाखा, दिल्ली	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर
4.	श्रीमती शिखा मंडोलिया	लेखा एकक, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल
5.	श्रीमती निकिता सैनी	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला	शैक्षणिक एकक, दिल्ली
6.	श्रीमती बिमलेश	लेखा एकक, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ

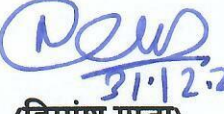
उपर्युक्त क्रमांक 3 एवं 6 पर उल्लेखित अधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वह उनके संबंधित नवीन क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यशील (functional) होने तक पदोन्नति उपरांत अपने वर्तमान स्थान पर कार्यरत रहेंगे।

उपर्युक्त अधिकारियों को दिनांक 02.01.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निदेशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारियों के दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त अधिकारियों को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

कार्यालय ज्ञापन संख्या: सीबीएसई/कार्मिक बी/विविध/2019/1416 दिनांक 04.01.2019 के अनुसार उपरोक्त सभी अधिकारी समूह 'ब' से समूह 'अ' में लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति होने पर 02 वर्षों की अवधि के लिए परिविक्षा (probation) पर रहेंगे।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।


31.12.24
(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आई.ए.एफ.ए.)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/134180-279 दिनांक: 31.12.2024

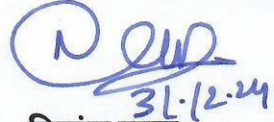
कार्यालय आदेश

दिनांक 27.12.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, श्रीमती शक्ति शर्मा, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, शैक्षणिक शाखा, दिल्ली को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-10 में सहायक सचिव (राजभाषा) के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा पदोन्नति पर उनकी नवीन तैनाती व्यवसायिक शाखा, दिल्ली में की जाती है।

उपर्युक्त अधिकारी को दिनांक 02.01.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निदेशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारी के दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त न होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त अधिकारी को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार सहायक सचिव (राजभाषा) के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

कार्यालय ज्ञापन संख्या: सीबीएसई/कार्मिक बी/विविध/2019/1416 दिनांक 04.01.2019 के अनुसार उपरोक्त अधिकारी समूह 'ब' से समूह 'अ' में सहायक सचिव (राजभाषा) के पद पर पदोन्नति होने पर 02 वर्षों की अवधि के लिए परिविक्षा (probation) पर रहेंगे।


(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं.: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/13080-179

दिनांक: 31.12.2024

कार्यालय आदेश

दिनांक 23.12.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित अधीक्षकों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-7 में अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कर्मचारी सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	1466	श्री जितेश कुमार ठाकुर	सचिव कार्यालय, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम
2.	1447	श्री ए.सी. कृष्ण कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनंतपुरम
3.	1394	श्री यशपाल	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला
4.	1168	मो. इब्राहिम खान	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई
5.	1169	श्री कौशल किशोर	रख-रखाव एकक, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी
6.	1520	श्री सतीश चंद्र शर्मा	सतर्कता शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर
7.	1084	श्री छोटे लाल	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
8.	940	श्री बोम बहादुर अले	आर. एंड आई. शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
9.	1378	श्रीमती युक्ति	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
10.	1567	श्रीमती बबिता रानी	कौशल शिक्षा एकक, दिल्ली	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़
11.	1559	श्रीमती अपराजिता पंडित	प्रशासन-II एवं III, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
12.	1568	श्रीमती शोभा सुन्दरियाल	कार्मिक-अ, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
13.	1557	श्रीमती मोनिका अरोड़ा	संबद्धता शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
14.	1564	श्रीमती ईशू कवात्रा	सतर्कता शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम
15.	1594	श्री अशोक कुमार गुप्ता	क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	कार्मिक-ब शाखा, मुख्यालय
16.	1565	श्री पी. श्रीनिवासराव	क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा	क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनंतपुरम
17.	1219	श्री आनंद कुमार भारती	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर
18.	1212	श्री हरिओम सरन	सी.टी.ई.टी. एवं विविध परीक्षा शाखा, दिल्ली	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना
19.	1038	श्री तलेन अथांग कॉम	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	उत्कृष्टता केंद्र, बेंगलुरु
20.	749	श्री लगनु मुंडा	क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना

उपर्युक्त क्रमांक 1, 6, 7, 8, 9, 12 तथा 17 पर उल्लेखित कर्मचारियों को निदेशित किया जाता है कि वह उनके संबंधित नवीन क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यशील (functional) होने तक पदोन्नति उपरांत अपने वर्तमान स्थान पर कार्यरत रहेंगे।

उपर्युक्त क्रमांक 11 पर उल्लेखित कर्मचारी को प्रशासनिक कारणों से उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर दिनांक 31.05.2025 तक पदासीन रखा जाएगा एवं उन्हें दिनांक 31.05.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा।

उपर्युक्त कर्मचारियों को दिनांक 02.01.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त कर्मचारियों के दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।


21.12.24



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

-2-

उपर्युक्त कर्मचारियों को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।


(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण:

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव – माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/ए.सी.सी.पी.डी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. संबंधित डीडीओ।
8. संबंधित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्क्रेप फाइल/सूचना पट्ट।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो. /भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/13280-379 दिनांक: 31.12.2024

कार्यालय आदेश

दिनांक 23.12.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित वरिष्ठ लेखाकारों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-7 में कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्री नितिन कुमार दीक्षित	वित्त शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज
2.	श्रीमती आँचल शर्मा	प्रशिक्षण शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम

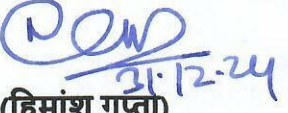
उपर्युक्त क्रमांक 2 पर अंकित कर्मचारी को निदेशित किया जाता है कि वह उनके संबंधित नवीन क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यशील (functional) होने तक पदोन्नति उपरांत वित्त शाखा, मुख्यालय से संबद्ध (attached) रहेंगे।

उपर्युक्त कर्मचारियों को दिनांक 02.01.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निदेशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त कर्मचारियों के दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त कर्मचारियों को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर की गई पदोन्नति अंतिम परिणाम (final outcome) के अधीन है जोकि Hon'ble CAT-PB, New Delhi के समक्ष Original Application (OA) No. 2618/2019 में लंबित है।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।


(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण:

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आई.एफ.ए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो. /भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/13480-579

दिनांक: 31.12.2024

कार्यालय आदेश

दिनांक 23.12.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित लेखाकारों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-6 में वरिष्ठ लेखाकार के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कर्मचारी सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	1656	सुश्री ईशा गुप्ता	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	कौशल शिक्षा एकक, मुख्यालय
2.	1657	सुश्री मेघा दयाल	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	वित्त शाखा, मुख्यालय
3.	1662	श्री गोविन्द तिवारी	वित्त शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)
4.	1667	श्रीमती दीपा रावत जैन	क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा	शैक्षणिक एकक, राउज़ एवेन्यू
5.	1665	श्री अजय सेमवाल	कौशल शिक्षा एकक, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा
6.	1669	श्रीमती निहारिका पांडेय	शैक्षणिक एकक, राउज़ एवेन्यू	वित्त शाखा, मुख्यालय
7.	1663	श्री कंचन कुमार	वित्त शाखा, मुख्यालय	सी.टी.ई.टी. एवं विविध परीक्षा शाखा, दिल्ली

उपर्युक्त कर्मचारियों को दिनांक 02.01.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निदेशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त कर्मचारियों के दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त कर्मचारियों को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार वरिष्ठ लेखाकार के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

कार्यालय ज्ञापन संख्या: सीबीएसई/कार्मिक बी/विविध/2019/1416 दिनांक 04.01.2019 के अनुसार उपरोक्त सभी कर्मचारी समूह 'सी' से समूह 'बी' में अधीक्षक के पद पर पदोन्नति होने पर 02 वर्षों की अवधि के लिए परिविक्षा (probation) पर रहेंगे।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।


(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण:-

1. अध्यक्ष, के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/ए.सी.सी.पी.डी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. संबंधित डीडीओ।
8. संबंधित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्क्रेप फाइल/सूचना पट्ट।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/13980-14079 दिनांक: 31.12.2024

कार्यालय आदेश

दिनांक 27.12.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, श्रीमती कविता निगम, निजी सचिव को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-10 में **वरिष्ठ निजी सचिव** के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा पदोन्नति पर उनकी नवीन तैनाती **क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून** में की जाती है।

उपर्युक्त अधिकारी को दिनांक 02.01.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निदेशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारी के दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त न होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त अधिकारी को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

कार्यालय ज्ञापन संख्या: सीबीएसई/कार्मिक बी/विविध/2019/1416 दिनांक 04.01.2019 के अनुसार उपरोक्त अधिकारी समूह 'ब' से समूह 'अ' में वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर पदोन्नति होने पर 02 वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा (probation) पर रहेंगे।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।


(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव – माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्क्रेप फाइल/सूचना पट्ट।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो. /भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/ 13180-279

दिनांक: 31.12.2024

कार्यालय आदेश

दिनांक 23.12.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित निजी सहायकों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-7 में निजी सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कर्मचारी सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	1271	श्रीमती कुसुम गोस्वामी	संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) कार्यालय, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम
2.	1306	श्रीमती किरण	कौशल शिक्षा, दिल्ली	उत्कृष्टता केंद्र, पंचकुला

उपर्युक्त क्रमांक 1 पर अंकित कर्मचारी को निदेशित किया जाता है कि वह उनके संबंधित नवीन क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यशील (functional) होने तक पदोन्नति उपरांत अपने वर्तमान स्थान पर कार्यरत रहेंगे।

उपर्युक्त कर्मचारियों को दिनांक 02.01.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निदेशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त कर्मचारियों के दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त कर्मचारियों को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार निजी सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।


(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण:

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव – माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/ए.सी.सी.पी.डी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. संबंधित डीडीओ।
8. संबंधित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/13580-679

दिनांक: 31.12.2024

कार्यालय आदेश

दिनांक 23.12.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, श्री राधे श्याम मीणा, अधीक्षक (कॉपीयर), क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-7 में पर्यवेक्षक (कॉपीयर) {Supervisor (Copier)} के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा पदोन्नति पर उनकी नवीन तैनाती क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा में की जाती है।

उपर्युक्त कर्मचारी को दिनांक 02.01.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निदेशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त कर्मचारी के दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त न होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित माना जाएगा। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त कर्मचारी को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार पर्यवेक्षक (कॉपीयर) {Supervisor (Copier)} के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।

(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण:

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव – माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/ए.सी.सी.पी.डी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. संबंधित डीडीओ।
8. संबंधित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्क्रेप फाइल/सूचना पट्ट।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन) (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो. /भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/13380-479

दिनांक: 31.12.2024

कार्यालय आदेश

दिनांक 23.12.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, श्री मोहित कुमार, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम) को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-7 में **वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी** के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा पदोन्नति पर उनकी नवीन तैनाती **क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु** में की जाती है।

उपर्युक्त कर्मचारी को दिनांक 02.01.2025 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निदेशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त कर्मचारी के दिनांक 07.01.2025 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त न होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित माना जाएगा। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त कर्मचारी को FR 22 (I)(a)(1) के अनुसार वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।


21.12.24
(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण:

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव – माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/ए.सी.सी.पी.डी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. संबंधित डीडीओ।
8. संबंधित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/12865-964

दिनांक: 24.12.2024

कार्यालय आदेश

दिनांक 17.12.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित संयुक्त सचिवों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-13A (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-4, ₹37400-67000 + ग्रेड वेतन - ₹8900/-) में क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्रीमती एस. धारणी अरुण	क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा	क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा
2.	श्री जयप्रकाश चतुर्वेदी	सम्बद्धता शाखा, मुख्यालय	निदेशक, संबद्धता शाखा, मुख्यालय

क्रं संख्या 2 पर अंकित अधिकारी सचिव, के.मा.शि.बो. को रिपोर्ट करेंगे।

उपरोक्त अधिकारियों को दिनांक 26.12.2024 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है। उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

उपरोक्त अधिकारियों को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार क्षेत्रीय निदेशक के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(संबद्धता)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
No. CBSE/Rectt.Cell/1(13)/2024/12865-964 Dated: 24.12.2024

OFFICE ORDER

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee meeting held on 17.12.2024 and subsequent approval by the Competent Authority of the Board, the following Joint Secretaries are hereby promoted to the post of Director/ Regional Director in Pay Level-13A of 7th CPC (PB-4 of ₹37400-67000 + GP of ₹8900/-) and the place of posting on promotion is indicated against each:-

S.No.	Name & designation	Present posting	Posting on promotion
1.	Smt. S. Dharini Arun	Regional Office, Noida	Regional Director, Regional Office, Noida
2.	Sh. Jaiprakash Chaturvedi	Affiliation Unit, Headquarters	Director, Affiliation Unit, Headquarters

The officer at S.No. 2 above shall report to the Secretary, CBSE.

The above officers are directed to give their consent to the Joint Secretary (A&L) latest by 26.12.2024. Their promotion will take effect from the date of their joining at the respective place of posting.

The above officers are also directed to furnish their option towards fixation of pay on promotion to the post of Director/ Regional Director on promotion within one month from the date of their joining in accordance to FR 22(I)(a)(1).


(Himanshu Gupta)
Secretary

Distribution:-

1. Deputy Secretary to Chairman, CBSE for kind information of the Chairman, CBSE.
2. All Heads of Departments/ Regional Directors of the Board.
3. Joint Secretary (A&L)/ (Affiliation)/ (Coordination)/ (IT)/ AIAFA.
4. All the Regional Officers/ Head of COEs of the Board/ ACCPD, Raebareli.
5. All officers of the Board upto the level of Section Officer.
6. Under Secretary (IT), Headquarters – for updation in eHRMS.
7. DDO(s) concerned.
8. Individual(s) concerned.
9. President, Shiksha Board Staff Welfare Association.
10. DA (APAR/Vig./GSLI)
11. Personal file of the incumbent.
12. Hindi Cell, CBSE, Headquarters for Hindi Translation.
13. Scrap file/Guard File/Notice Board.





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/12905-13064

दिनांक: 27.12.2024

कार्यालय आदेश

दिनांक 17.12.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित उप सचिवों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-13 (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-3, ₹15600-39100 + ग्रेड वेतन - ₹8700/-) में संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्रीमती पूनम सचदेवा	सी.टी.ई.टी. एवं विविध परीक्षा शाखा	प्रमुख, उत्कृष्टता केंद्र, नोएडा
2.	श्रीमती मीनू जोशी (सेवानिवृत्ति: 31.03.2025)	समन्वय शाखा, मुख्यालय	समन्वय शाखा, मुख्यालय
3.	श्री अरविन्द	प्रशासन एवं विधि, मुख्यालय	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम

उपरोक्त क्रं. संख्या 3 पर अंकित अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम के कार्यशील (functional) होने तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि) को रिपोर्ट करेंगे।

उपरोक्त अधिकारियों को दिनांक 26.12.2024 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 30.12.2024 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति, नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त अधिकारियों को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

TA/DA नियमानुसार देय होगा।


(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(संबद्धता)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



शिक्षा केन्द्र, 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

Phone toll free : 011-27502556-59 27041807-10 Website: www.cbse.nic.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन((An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

No. CBSE/Rectt.Cell/1(13)/2024/12965-13064

Dated: 24.12.2024

OFFICE ORDER

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee meeting held on 17.12.2024 and subsequent approval by the Competent Authority of the Board, the following Deputy Secretaries are hereby promoted to the post of Joint Secretary in Pay Level-13 of 7th CPC (PB-4 of ₹37400-67000 + GP of ₹8700/-) and the place of posting on promotion is indicated against each:-

S. No.	Name & designation	Present posting	Posting on promotion
1.	Smt. Poonam Sachdeva	CTET & Misc. Exams Unit, Delhi	Head, CoE, Noida
2.	Smt. Meenu Joshi (DOR: 31.03.2025)	Coordination Unit, Headquarters	Coordination Unit, Headquarters
3.	Sh. Arvind	Admin & Legal, Headquarters	Regional Officer, Regional Office, Gurugram

The officer at S.No. 3 above will report to JS (A&L) till Regional Office, Gurugram becomes functional.

The above officers are directed to give their consent to the Joint Secretary (A&L) latest by 26.12.2024 and they will be stand relieved from 30.12.2024 (afternoon). Their promotion will take effect from the date of their joining at the respective place of posting. The posting made on promotion is final and non-changeable, hence, no representation regarding change in place of posting will be entertained.

The above officers are also directed to furnish their option towards fixation of pay on promotion to the post of Joint Secretary on promotion within one month from the date of their joining in accordance to FR 22(I)(a)(1).

TA/DA shall be paid as per norms.


(Himanshu Gupta) 24.12.24
Secretary

Distribution:-

1. Deputy Secretary to Chairman, CBSE for kind information of the Chairman, CBSE.
2. All Heads of Departments/ Regional Directors of the Board.
3. Joint Secretary (A&L)/ (Affiliation)/ (Coordination)/ (IT)/ AIAFA.
4. All the Regional Officers/ Head of COEs of the Board/ ACCPD, Raebareli.
5. All officers of the Board upto the level of Section Officer.
6. Under Secretary (IT), Headquarters – for updation in eHRMS.
7. DDO(s) concerned.
8. Individual(s) concerned.
9. President, Shiksha Board Staff Welfare Association.
10. DA (APAR/Vig./GSLI)
11. Personal file of the incumbent.
12. Hindi Cell, CBSE, Headquarters for Hindi Translation.
13. Scrap file/Guard File/Notice Board.



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/12397-496 दिनांक: 23.09.2024

कार्यालय आदेश

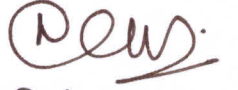
दिनांक 11.09.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, श्री जितेन्द्र कुमार जैन, उप सचिव (आई.टी.), क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ (परीक्षा नियंत्रक कार्यालय और आई.टी. एवं परियोजना एकक, मुख्यालय में स्थानांतरणधीन) को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 13 (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-4, ₹37400-67000 + ग्रेड वेतन - ₹8700/-) में संयुक्त सचिव (आई.टी.) के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा पदोन्नति पर उनकी नवीन तैनाती परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, मुख्यालय, दिल्ली में की जाती है।

उपरोक्त अधिकारी को दिनांक 25.09.2024 तक अधोहस्ताक्षरी को अपनी सहमति एवं कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया जाता है। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त अधिकारी को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार संयुक्त सचिव (आई.टी.) के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

श्री जितेन्द्र कुमार जैन, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ के चिकित्सीय कारणों (Surgery) को देखते हुए उन्हें अपने वर्तमान तैनाती स्थान (क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़) से 31.12.2024 (अपराह्न) को कार्यमुक्त किया जाएगा।

टीए/डीए नियमानुसार देय होगा।


(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/ (संबद्धता)/(समन्वय)/(आई.टी.)/आईएफए।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित अधिकारी।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/12497-596

दिनांक: 23.09.2024

कार्यालय आदेश

दिनांक 11.09.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, श्रीमती एम. विजयलक्ष्मी, अवर सचिव (आई.टी.), क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई (आई.टी. एवं परियोजना एकक, मुख्यालय में स्थानांतरणधीन) को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 12 (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-3, ₹15600-39100 + ग्रेड वेतन - ₹7600/-) में उप सचिव (आई.टी.) के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा पदोन्नति पर उनकी नवीन तैनाती क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु में की जाती है।

उपरोक्त अधिकारी को दिनांक 25.09.2024 तक अधोहस्ताक्षरी को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 30.09.2024 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारी के दिनांक 30.09.2024 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त न होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित माना जाएगा। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त अधिकारी को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार उप सचिव (आई.टी.) के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

टीए/डीए नियमानुसार देय होगा।


(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/ (संबद्धता)/(समन्वय)/(आई.टी.)/आईएफए।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित अधिकारी।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्क्रेप फाइल/सूचना पट्ट।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/12054-153

दिनांक: 14.09.2024

कार्यालय आदेश

दिनांक 13.09.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित अधीक्षकों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-7 (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-2, ₹9300-34800 + ग्रेड वेतन - ₹4600/-) में अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्री गौरव कुमार शर्मा	संयुक्त सचिव (प्र. एवं विधि) कार्यालय	उत्कृष्टता केंद्र, चंडीगढ़
2.	श्री प्रभात कुमार सिंह	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	संबद्धता शाखा, मुख्यालय
3.	मौ. फज़ल इमाम	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	उत्कृष्टता केंद्र, भुवनेश्वर
4.	सुश्री अंशिता माथुर	कौशल शिक्षा एकक, दिल्ली	क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
5.	श्री राज किशोर	क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज	संबद्धता शाखा, मुख्यालय
6.	श्री शैलेन्द्र यादव (वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला
7.	श्री निशांत भारतीय	प्रशासन-॥ एवं ॥, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज
8.	श्रीमती शालिनी दीक्षित	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे
9.	श्रीमती एस. ललिता	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा
10.	श्रीमती करुणा	प्रशासन-॥ एवं ॥, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर
11.	श्री रेवती रमन	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)
12.	श्री नवीन कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी
13.	श्री जय कुमार चिदार	क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)
14.	श्री प्रवीण कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा
15.	श्री सुरेश	कौशल शिक्षा एकक, दिल्ली	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी

उपरोक्त कर्मचारियों को दिनांक 18.09.2024 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 23.09.2024 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त कर्मचारियों के दिनांक 23.09.2024 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त न होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित माना जाएगा। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त कर्मचारियों को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

टीए/डीए नियमानुसार देय होगा।


(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/ (संबद्धता)/(समन्वय)/(आई.टी.)/आईएफए।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।

(अगले पृष्ठ पर जारी..)



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

(पिछले पृष्ठ से जारी)

5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. संबंधित डीडीओ।
8. सम्बन्धित कर्मचारी।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्क्रेप फाइल/सूचना पट्ट।



शिक्षा केंद्र 2, सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
SHIKSHA KENDRA 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

Phone (office): 011-27509756-59, 27501150/7 (R) Website: www.cbse.gov.in, www.shiksha.gov.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/11954-12053 दिनांक: 14.09.2024

कार्यालय आदेश

दिनांक 13.09.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, श्रीमती तराना, निजी सहायक, कौशल शिक्षा एकक, दिल्ली को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-7 (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-2, ₹9300-34800 + ग्रेड वेतन - ₹4600/-) में निजी सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा पदोन्नति पर उनकी नवीन तैनाती क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज में की जाती है।

उपरोक्त कर्मचारी को दिनांक 18.09.2024 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 23.09.2024 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त कर्मचारी के दिनांक 23.09.2024 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त न होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित माना जाएगा। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त कर्मचारी को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार निजी सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

टीए/डीए नियमानुसार देय होगा।


(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि)/ (संबद्धता)/(समन्वय)/(आई.टी.)/आईएएफए।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित कर्मचारी।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



शिक्षा केंद्र 2 सामुदायिक केंद्र प्रीत विहार दिल्ली 110092
SHIKSHA KENDRA 2 COMMUNITY CENTRE PREET VIHAR DELHI 110092

Phone (off) : 011-27509758-59, 27501167-68 Website : www.cbse.gov.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/11854-953 दिनांक: 14.09.2024

कार्यालय आदेश

दिनांक 13.09.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, मौ. शोएब खान, लेखाकार, आंतरिक लेखापरीक्षा विंग, मुख्यालय को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-6 (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-2, ₹9300-34800 + ग्रेड वेतन - ₹4200/-) में वरिष्ठ लेखाकार के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा पदोन्नति पर उनकी नवीन तैनाती आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई एवं व्यवसायिक परीक्षा इकाई में की जाती है।

उपरोक्त कर्मचारी को दिनांक 18.09.2024 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 23.09.2024 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त कर्मचारी के दिनांक 23.09.2024 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त न होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित माना जाएगा। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त कर्मचारी को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार वरिष्ठ लेखाकार के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

कार्यालय ज्ञापन संख्या: सीबीएसई/कार्मिक बी/विविध/2019/1416 दिनांक 04.01.2019 के अनुसार उपरोक्त कर्मचारी समूह 'सी' से समूह 'बी' के वरिष्ठ लेखाकार के पद पर पदोन्नति होने पर 02 वर्षों की अवधि के लिए परिविक्षा (probation) पर रहेंगे।

(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(संबद्धता)/(समन्वय)/(आई.टी.)/आईएफए।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित कर्मचारी।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्क्रेप फाइल/सूचना पट्ट।



शिक्षा केंद्र 2, सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार, दिल्ली 110092
SHIKSHA KENDRA 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI 110092

Phone (toll free) : 011-23620956, 80 23621507, 011-23621508, 011-23621509, 011-23621510, 011-23621511, 011-23621512, 011-23621513, 011-23621514, 011-23621515, 011-23621516, 011-23621517, 011-23621518, 011-23621519, 011-23621520, 011-23621521, 011-23621522, 011-23621523, 011-23621524, 011-23621525, 011-23621526, 011-23621527, 011-23621528, 011-23621529, 011-23621530, 011-23621531, 011-23621532, 011-23621533, 011-23621534, 011-23621535, 011-23621536, 011-23621537, 011-23621538, 011-23621539, 011-23621540, 011-23621541, 011-23621542, 011-23621543, 011-23621544, 011-23621545, 011-23621546, 011-23621547, 011-23621548, 011-23621549, 011-23621550, 011-23621551, 011-23621552, 011-23621553, 011-23621554, 011-23621555, 011-23621556, 011-23621557, 011-23621558, 011-23621559, 011-23621560, 011-23621561, 011-23621562, 011-23621563, 011-23621564, 011-23621565, 011-23621566, 011-23621567, 011-23621568, 011-23621569, 011-23621570, 011-23621571, 011-23621572, 011-23621573, 011-23621574, 011-23621575, 011-23621576, 011-23621577, 011-23621578, 011-23621579, 011-23621580, 011-23621581, 011-23621582, 011-23621583, 011-23621584, 011-23621585, 011-23621586, 011-23621587, 011-23621588, 011-23621589, 011-23621590, 011-23621591, 011-23621592, 011-23621593, 011-23621594, 011-23621595, 011-23621596, 011-23621597, 011-23621598, 011-23621599, 011-23621600, 011-23621601, 011-23621602, 011-23621603, 011-23621604, 011-23621605, 011-23621606, 011-23621607, 011-23621608, 011-23621609, 011-23621610, 011-23621611, 011-23621612, 011-23621613, 011-23621614, 011-23621615, 011-23621616, 011-23621617, 011-23621618, 011-23621619, 011-23621620, 011-23621621, 011-23621622, 011-23621623, 011-23621624, 011-23621625, 011-23621626, 011-23621627, 011-23621628, 011-23621629, 011-23621630, 011-23621631, 011-23621632, 011-23621633, 011-23621634, 011-23621635, 011-23621636, 011-23621637, 011-23621638, 011-23621639, 011-23621640, 011-23621641, 011-23621642, 011-23621643, 011-23621644, 011-23621645, 011-23621646, 011-23621647, 011-23621648, 011-23621649, 011-23621650, 011-23621651, 011-23621652, 011-23621653, 011-23621654, 011-23621655, 011-23621656, 011-23621657, 011-23621658, 011-23621659, 011-23621660, 011-23621661, 011-23621662, 011-23621663, 011-23621664, 011-23621665, 011-23621666, 011-23621667, 011-23621668, 011-23621669, 011-23621670, 011-23621671, 011-23621672, 011-23621673, 011-23621674, 011-23621675, 011-23621676, 011-23621677, 011-23621678, 011-23621679, 011-23621680, 011-23621681, 011-23621682, 011-23621683, 011-23621684, 011-23621685, 011-23621686, 011-23621687, 011-23621688, 011-23621689, 011-23621690, 011-23621691, 011-23621692, 011-23621693, 011-23621694, 011-23621695, 011-23621696, 011-23621697, 011-23621698, 011-23621699, 011-23621700, 011-23621701, 011-23621702, 011-23621703, 011-23621704, 011-23621705, 011-23621706, 011-23621707, 011-23621708, 011-23621709, 011-23621710, 011-23621711, 011-23621712, 011-23621713, 011-23621714, 011-23621715, 011-23621716, 011-23621717, 011-23621718, 011-23621719, 011-23621720, 011-23621721, 011-23621722, 011-23621723, 011-23621724, 011-23621725, 011-23621726, 011-23621727, 011-23621728, 011-23621729, 011-23621730, 011-23621731, 011-23621732, 011-23621733, 011-23621734, 011-23621735, 011-23621736, 011-23621737, 011-23621738, 011-23621739, 011-23621740, 011-23621741, 011-23621742, 011-23621743, 011-23621744, 011-23621745, 011-23621746, 011-23621747, 011-23621748, 011-23621749, 011-23621750, 011-23621751, 011-23621752, 011-23621753, 011-23621754, 011-23621755, 011-23621756, 011-23621757, 011-23621758, 011-23621759, 011-23621760, 011-23621761, 011-23621762, 011-23621763, 011-23621764, 011-23621765, 011-23621766, 011-23621767, 011-23621768, 011-23621769, 011-23621770, 011-23621771, 011-23621772, 011-23621773, 011-23621774, 011-23621775, 011-23621776, 011-23621777, 011-23621778, 011-23621779, 011-23621780, 011-23621781, 011-23621782, 011-23621783, 011-23621784, 011-23621785, 011-23621786, 011-23621787, 011-23621788, 011-23621789, 011-23621790, 011-23621791, 011-23621792, 011-23621793, 011-23621794, 011-23621795, 011-23621796, 011-23621797, 011-23621798, 011-23621799, 011-23621800, 011-23621801, 011-23621802, 011-23621803, 011-23621804, 011-23621805, 011-23621806, 011-23621807, 011-23621808, 011-23621809, 011-23621810, 011-23621811, 011-23621812, 011-23621813, 011-23621814, 011-23621815, 011-23621816, 011-23621817, 011-23621818, 011-23621819, 011-23621820, 011-23621821, 011-23621822, 011-23621823, 011-23621824, 011-23621825, 011-23621826, 011-23621827, 011-23621828, 011-23621829, 011-23621830, 011-23621831, 011-23621832, 011-23621833, 011-23621834, 011-23621835, 011-23621836, 011-23621837, 011-23621838, 011-23621839, 011-23621840, 011-23621841, 011-23621842, 011-23621843, 011-23621844, 011-23621845, 011-23621846, 011-23621847, 011-23621848, 011-23621849, 011-23621850, 011-23621851, 011-23621852, 011-23621853, 011-23621854, 011-23621855, 011-23621856, 011-23621857, 011-23621858, 011-23621859, 011-23621860, 011-23621861, 011-23621862, 011-23621863, 011-23621864, 011-23621865, 011-23621866, 011-23621867, 011-23621868, 011-23621869, 011-23621870, 011-23621871, 011-23621872, 011-23621873, 011-23621874, 011-23621875, 011-23621876, 011-23621877, 011-23621878, 011-23621879, 011-23621880, 011-23621881, 011-23621882, 011-23621883, 011-23621884, 011-23621885, 011-23621886, 011-23621887, 011-23621888, 011-23621889, 011-23621890, 011-23621891, 011-23621892, 011-23621893, 011-23621894, 011-23621895, 011-23621896, 011-23621897, 011-23621898, 011-23621899, 011-23621900, 011-23621901, 011-23621902, 011-23621903, 011-23621904, 011-23621905, 011-23621906, 011-23621907, 011-23621908, 011-23621909, 011-23621910, 011-23621911, 011-23621912, 011-23621913, 011-23621914, 011-23621915, 011-23621916, 011-23621917, 011-23621918, 011-23621919, 011-23621920, 011-23621921, 011-23621922, 011-23621923, 011-23621924, 011-23621925, 011-23621926, 011-23621927, 011-23621928, 011-23621929, 011-23621930, 011-23621931, 011-23621932, 011-23621933, 011-23621934, 011-23621935, 011-23621936, 011-23621937, 011-23621938, 011-23621939, 011-23621940, 011-23621941, 011-23621942, 011-23621943, 011-23621944, 011-23621945, 011-23621946, 011-23621947, 011-23621948, 011-23621949, 011-23621950, 011-23621951, 011-23621952, 011-23621953, 011-23621954, 011-23621955, 011-23621956, 011-23621957, 011-23621958, 011-23621959, 011-23621960, 011-23621961, 011-23621962, 011-23621963, 011-23621964, 011-23621965, 011-23621966, 011-23621967, 011-23621968, 011-23621969, 011-23621970, 011-23621971, 011-23621972, 011-23621973, 011-23621974, 011-23621975, 011-23621976, 011-23621977, 011-23621978, 011-23621979, 011-23621980, 011-23621981, 011-23621982, 011-23621983, 011-23621984, 011-23621985, 011-23621986, 011-23621987, 011-23621988, 011-23621989, 011-23621990, 011-23621991, 011-23621992, 011-23621993, 011-23621994, 011-23621995, 011-23621996, 011-23621997, 011-23621998, 011-23621999, 011-23622000, 011-23622001, 011-23622002, 011-23622003, 011-23622004, 011-23622005, 011-23622006, 011-23622007, 011-23622008, 011-23622009, 011-23622010, 011-23622011, 011-23622012, 011-23622013, 011-23622014, 011-23622015, 011-23622016, 011-23622017, 011-23622018, 011-23622019, 011-23622020, 011-23622021, 011-23622022, 011-23622023, 011-23622024, 011-23622025, 011-23622026, 011-23622027, 011-23622028, 011-23622029, 011-23622030, 011-23622031, 011-23622032, 011-23622033, 011-23622034, 011-23622035, 011-23622036, 011-23622037, 011-23622038, 011-23622039, 011-23622040, 011-23622041, 011-23622042, 011-23622043, 011-23622044, 011-23622045, 011-23622046, 011-23622047, 011-23622048, 011-23622049, 011-23622050, 011-23622051, 011-23622052, 011-23622053, 011-23622054, 011-23622055, 011-23622056, 011-23622057, 011-23622058, 011-23622059, 011-23622060, 011-23622061, 011-23622062, 011-23622063, 011-23622064, 011-23622065, 011-23622066, 011-23622067, 011-23622068, 011-23622069, 011-23622070, 011-23622071, 011-23622072, 011-23622073, 011-23622074, 011-23622075, 011-23622076, 011-23622077, 011-23622078, 011-23622079, 011-23622080, 011-23622081, 011-23622082, 011-23622083, 011-23622084, 011-23622085, 011-23622086, 011-23622087, 011-23622088, 011-23622089, 011-23622090, 011-23622091, 011-23622092, 011-23622093, 011-23622094, 011-23622095, 011-23622096, 011-23622097, 011-23622098, 011-23622099, 011-23622100, 011-23622101, 011-23622102, 011-23622103, 011-23622104, 011-23622105, 011-23622106, 011-23622107, 011-23622108, 011-23622109, 011-23622110, 011-23622111, 011-23622112, 011-23622113, 011-23622114, 011-23622115, 011-23622116, 011-23622117, 011-23622118, 011-23622119, 011-23622120, 011-23622121, 011-23622122, 011-23622123, 011-23622124, 011-23622125, 011-23622126, 011-23622127, 011-23622128, 011-23622129, 011-23622130, 011-23622131, 011-23622132, 011-23622133, 011-23622134, 011-23622135, 011-23622136, 011-23622137, 011-23622138, 011-23622139, 011-23622140, 011-23622141, 011-23622142, 011-23622143, 011-23622144, 011-23622145, 011-23622146, 011-23622147, 011-23622148, 011-23622149, 011-23622150, 011-23622151, 011-23622152, 011-23622153, 011-23622154, 011-23622155, 011-23622156, 011-23622157, 011-23622158, 011-23622159, 011-23622160, 011-23622161, 011-23622162, 011-23622163, 011-23622164, 011-23622165, 011-23622166, 011-23622167, 011-23622168, 011-23622169, 011-23622170, 011-23622171, 011-23622172, 011-23622173, 011-23622174, 011-23622175, 011-23622176, 011-23622177, 011-23622178, 011-23622179, 011-23622180, 011-23622181, 011-23622182, 011-23622183, 011-23622184, 011-23622185, 011-23622186, 011-23622187, 011-23622188, 011-23622189, 011-23622190, 011-23622191, 011-23622192, 011-23622193, 011-23622194, 011-23622195, 011-23622196, 011-23622197, 011-23622198, 011-23622199, 011-23622200, 011-23622201, 011-23622202, 011-23622203, 011-23622204, 011-23622205, 011-23622206, 011-23622207, 011-23622208, 011-23622209, 011-23622210, 011-23622211, 011-23622212, 011-23622213, 011-23622214, 011-23622215, 011-23622216, 011-23622217, 011-23622218, 011-23622219, 011-23622220, 011-23622221, 011-23622222, 011-23622223, 011-23622224, 011-23622225, 011-23622226, 011-23622227, 011-23622228, 011-23622229, 011-23622230, 011-23622231, 011-23622232, 011-23622233, 011-23622234, 011-23622235, 011-23622236, 011-23622237, 011-23622238, 011-23622239, 011-23622240, 011-23622241, 011-23622242, 011-23622243, 011-23622244, 011-23622245, 011-23622246, 011-23622247, 011-23622248, 011-23622249, 011-23622250, 011-23622251, 011-23622252, 011-23622253, 011-23622254, 011-23622255, 011-23622256, 011-23622257, 011-23622258, 011-23622259, 011-23622260, 011-23622261, 0



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/11754-853 दिनांक: 14.09.2024

कार्यालय आदेश

दिनांक 13.09.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित मल्टी टास्किंग स्टाफ को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-2 (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-1, ₹5200-20200 + ग्रेड वेतन - ₹1900/-) में सहायक रिकॉर्ड कीपर के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है :

क्र.	कर्मचारी संख्या	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	1420	श्री दिनेश कुमार	कौशल शिक्षा एकक, दिल्ली	कौशल शिक्षा एकक, दिल्ली
2.	1481	श्री लाल बिहारी मांझी	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना

उपरोक्त कर्मचारियों को पदोन्नति की तारीख से छह महीने के भीतर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, ऐसा नहीं करने पर उन्हें उनके मूल पद पर पुनः वापस किया जाएगा।

उपरोक्त कर्मचारियों को दिनांक 18.09.2024 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति एवं कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया जाता है। उनकी पदोन्नति नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। ऐसा नहीं होने पर पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित माना जाएगा। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

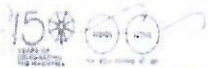
उपरोक्त कर्मचारियों को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार सहायक रिकॉर्ड कीपर के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी/शाखा प्रभारी से अनुरोध है कि वे उपरोक्त कर्मचारियों का कार्यभार उनकी पदोन्नति पर परिवर्तित कर भर्ती प्रकोष्ठ, मुख्यालय को सूचित करें।

(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/ (संबद्धता)/(समन्वय)/(आई.टी.)/आईएफए।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित कर्मचारी।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



शिक्षा केंद्र 2, समुदायिक केंद्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
SHIKSHA KENDRA 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI 110092

Phone (toll free) : 011-22509256, 59, 77041807, 08. Web site : www.cbse.gov.in, www.cbse-ncert.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/11252-351

दिनांक: 12.09.2024

कार्यालय आदेश

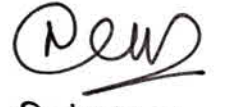
दिनांक 11.09.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित अवर सचिवों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-12 (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-3, ₹15600-39100 + ग्रेड वेतन - ₹7600/-) में उप सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्री गोपाल लाल यादव	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना
2.	श्री अनिल कुमार जैन	संबद्धता शाखा, मुख्यालय	संबद्धता शाखा, मुख्यालय
3.	श्री मनोज कुमार गुप्ता	संबद्धता शाखा, मुख्यालय	संबद्धता शाखा, मुख्यालय
4.	श्री राजेन्द्र कुमार (DOR - 30.09.2025)	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर
5.	श्री अरविन्द कुमार मिश्रा	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना (उत्कृष्टता केंद्र, गुवाहाटी में स्थानांतरणधीन)	प्रमुख, उत्कृष्टता केंद्र, गुवाहाटी

उपरोक्त अधिकारियों को दिनांक 17.09.2024 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है। उनकी पदोन्नति नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। ऐसा नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति का प्रस्ताव स्वतः रद्द माना जाएगा और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त अधिकारियों को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार उप सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

टीए/डीए केवल क्र. सं. 05 के अधिकारी के लिए नियमानुसार देय होगा।


(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/ (संबद्धता)/(समन्वय)/(आई.टी.)/आईएफए।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित अधिकारी।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. अध्यक्ष, अखिल भारतीय के.मा.शि.बो. एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ।
11. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)
12. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
13. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



"शिक्षा केंद्र", 2, सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

Phone (off) : 011-22509258, 22509259, 22509260, 22509261, 22509262, 22509263, 22509264, 22509265, 22509266, 22509267, 22509268, 22509269, 22509270, 22509271, 22509272, 22509273, 22509274, 22509275, 22509276, 22509277, 22509278, 22509279, 22509280, 22509281, 22509282, 22509283, 22509284, 22509285, 22509286, 22509287, 22509288, 22509289, 22509290, 22509291, 22509292, 22509293, 22509294, 22509295, 22509296, 22509297, 22509298, 22509299, 22509300, 22509301, 22509302, 22509303, 22509304, 22509305, 22509306, 22509307, 22509308, 22509309, 22509310, 22509311, 22509312, 22509313, 22509314, 22509315, 22509316, 22509317, 22509318, 22509319, 22509320, 22509321, 22509322, 22509323, 22509324, 22509325, 22509326, 22509327, 22509328, 22509329, 22509330, 22509331, 22509332, 22509333, 22509334, 22509335, 22509336, 22509337, 22509338, 22509339, 22509340, 22509341, 22509342, 22509343, 22509344, 22509345, 22509346, 22509347, 22509348, 22509349, 22509350, 22509351, 22509352, 22509353, 22509354, 22509355, 22509356, 22509357, 22509358, 22509359, 22509360, 22509361, 22509362, 22509363, 22509364, 22509365, 22509366, 22509367, 22509368, 22509369, 22509370, 22509371, 22509372, 22509373, 22509374, 22509375, 22509376, 22509377, 22509378, 22509379, 22509380, 22509381, 22509382, 22509383, 22509384, 22509385, 22509386, 22509387, 22509388, 22509389, 22509390, 22509391, 22509392, 22509393, 22509394, 22509395, 22509396, 22509397, 22509398, 22509399, 22509400, 22509401, 22509402, 22509403, 22509404, 22509405, 22509406, 22509407, 22509408, 22509409, 22509410, 22509411, 22509412, 22509413, 22509414, 22509415, 22509416, 22509417, 22509418, 22509419, 22509420, 22509421, 22509422, 22509423, 22509424, 22509425, 22509426, 22509427, 22509428, 22509429, 22509430, 22509431, 22509432, 22509433, 22509434, 22509435, 22509436, 22509437, 22509438, 22509439, 22509440, 22509441, 22509442, 22509443, 22509444, 22509445, 22509446, 22509447, 22509448, 22509449, 22509450, 22509451, 22509452, 22509453, 22509454, 22509455, 22509456, 22509457, 22509458, 22509459, 22509460, 22509461, 22509462, 22509463, 22509464, 22509465, 22509466, 22509467, 22509468, 22509469, 22509470, 22509471, 22509472, 22509473, 22509474, 22509475, 22509476, 22509477, 22509478, 22509479, 22509480, 22509481, 22509482, 22509483, 22509484, 22509485, 22509486, 22509487, 22509488, 22509489, 22509490, 22509491, 22509492, 22509493, 22509494, 22509495, 22509496, 22509497, 22509498, 22509499, 22509500, 22509501, 22509502, 22509503, 22509504, 22509505, 22509506, 22509507, 22509508, 22509509, 22509510, 22509511, 22509512, 22509513, 22509514, 22509515, 22509516, 22509517, 22509518, 22509519, 22509520, 22509521, 22509522, 22509523, 22509524, 22509525, 22509526, 22509527, 22509528, 22509529, 22509530, 22509531, 22509532, 22509533, 22509534, 22509535, 22509536, 22509537, 22509538, 22509539, 22509540, 22509541, 22509542, 22509543, 22509544, 22509545, 22509546, 22509547, 22509548, 22509549, 22509550, 22509551, 22509552, 22509553, 22509554, 22509555, 22509556, 22509557, 22509558, 22509559, 22509560, 22509561, 22509562, 22509563, 22509564, 22509565, 22509566, 22509567, 22509568, 22509569, 22509570, 22509571, 22509572, 22509573, 22509574, 22509575, 22509576, 22509577, 22509578, 22509579, 22509580, 22509581, 22509582, 22509583, 22509584, 22509585, 22509586, 22509587, 22509588, 22509589, 22509590, 22509591, 22509592, 22509593, 22509594, 22509595, 22509596, 22509597, 22509598, 22509599, 22509600, 22509601, 22509602, 22509603, 22509604, 22509605, 22509606, 22509607, 22509608, 22509609, 22509610, 22509611, 22509612, 22509613, 22509614, 22509615, 22509616, 22509617, 22509618, 22509619, 22509620, 22509621, 22509622, 22509623, 22509624, 22509625, 22509626, 22509627, 22509628, 22509629, 22509630, 22509631, 22509632, 22509633, 22509634, 22509635, 22509636, 22509637, 22509638, 22509639, 22509640, 22509641, 22509642, 22509643, 22509644, 22509645, 22509646, 22509647, 22509648, 22509649, 22509650, 22509651, 22509652, 22509653, 22509654, 22509655, 22509656, 22509657, 22509658, 22509659, 22509660, 22509661, 22509662, 22509663, 22509664, 22509665, 22509666, 22509667, 22509668, 22509669, 22509670, 22509671, 22509672, 22509673, 22509674, 22509675, 22509676, 22509677, 22509678, 22509679, 22509680, 22509681, 22509682, 22509683, 22509684, 22509685, 22509686, 22509687, 22509688, 22509689, 22509690, 22509691, 22509692, 22509693, 22509694, 22509695, 22509696, 22509697, 22509698, 22509699, 22509700, 22509701, 22509702, 22509703, 22509704, 22509705, 22509706, 22509707, 22509708, 22509709, 22509710, 22509711, 22509712, 22509713, 22509714, 22509715, 22509716, 22509717, 22509718, 22509719, 22509720, 22509721, 22509722, 22509723, 22509724, 22509725, 22509726, 22509727, 22509728, 22509729, 22509730, 22509731, 22509732, 22509733, 22509734, 22509735, 22509736, 22509737, 22509738, 22509739, 22509740, 22509741, 22509742, 22509743, 22509744, 22509745, 22509746, 22509747, 22509748, 22509749, 22509750, 22509751, 22509752, 22509753, 22509754, 22509755, 22509756, 22509757, 22509758, 22509759, 22509760, 22509761, 22509762, 22509763, 22509764, 22509765, 22509766, 22509767, 22509768, 22509769, 22509770, 22509771, 22509772, 22509773, 22509774, 22509775, 22509776, 22509777, 22509778, 22509779, 22509780, 22509781, 22509782, 22509783, 22509784, 22509785, 22509786, 22509787, 22509788, 22509789, 22509790, 22509791, 22509792, 22509793, 22509794, 22509795, 22509796, 22509797, 22509798, 22509799, 22509800, 22509801, 22509802, 22509803, 22509804, 22509805, 22509806, 22509807, 22509808, 22509809, 22509810, 22509811, 22509812, 22509813, 22509814, 22509815, 22509816, 22509817, 22509818, 22509819, 22509820, 22509821, 22509822, 22509823, 22509824, 22509825, 22509826, 22509827, 22509828, 22509829, 22509830, 22509831, 22509832, 22509833, 22509834, 22509835, 22509836, 22509837, 22509838, 22509839, 22509840, 22509841, 22509842, 22509843, 22509844, 22509845, 22509846, 22509847, 22509848, 22509849, 22509850, 22509851, 22509852, 22509853, 22509854, 22509855, 22509856, 22509857, 22509858, 22509859, 22509860, 22509861, 22509862, 22509863, 22509864, 22509865, 22509866, 22509867, 22509868, 22509869, 22509870, 22509871, 22509872, 22509873, 22509874, 22509875, 22509876, 22509877, 22509878, 22509879, 22509880, 22509881, 22509882, 22509883, 22509884, 22509885, 22509886, 22509887, 22509888, 22509889, 22509890, 22509891, 22509892, 22509893, 22509894, 22509895, 22509896, 22509897, 22509898, 22509899, 22509900, 22509901, 22509902, 22509903, 22509904, 22509905, 22509906, 22509907, 22509908, 22509909, 22509910, 22509911, 22509912, 22509913, 22509914, 22509915, 22509916, 22509917, 22509918, 22509919, 22509920, 22509921, 22509922, 22509923, 22509924, 22509925, 22509926, 22509927, 22509928, 22509929, 22509930, 22509931, 22509932, 22509933, 22509934, 22509935, 22509936, 22509937, 22509938, 22509939, 22509940, 22509941, 22509942, 22509943, 22509944, 22509945, 22509946, 22509947, 22509948, 22509949, 22509950, 22509951, 22509952, 22509953, 22509954, 22509955, 22509956, 22509957, 22509958, 22509959, 22509960, 22509961, 22509962, 22509963, 22509964, 22509965, 22509966, 22509967, 22509968, 22509969, 22509970, 22509971, 22509972, 22509973, 22509974, 22509975, 22509976, 22509977, 22509978, 22509979, 22509980, 22509981, 22509982, 22509983, 22509984, 22509985, 22509986, 22509987, 22509988, 22509989, 22509990, 22509991, 22509992, 22509993, 22509994, 22509995, 22509996, 22509997, 22509998, 22509999, 22510000, 22510001, 22510002, 22510003, 22510004, 22510005, 22510006, 22510007, 22510008, 22510009, 22510010, 22510011, 22510012, 22510013, 22510014, 22510015, 22510016, 22510017, 22510018, 22510019, 22510020, 22510021, 22510022, 22510023, 22510024, 22510025, 22510026, 22510027, 22510028, 22510029, 22510030, 22510031, 22510032, 22510033, 22510034, 22510035, 22510036, 22510037, 22510038, 22510039, 22510040, 22510041, 22510042, 22510043, 22510044, 22510045, 22510046, 22510047, 22510048, 22510049, 22510050, 22510051, 22510052, 22510053, 22510054, 22510055, 22510056, 22510057, 22510058, 22510059, 22510060, 22510061, 22510062, 22510063, 22510064, 22510065, 22510066, 22510067, 22510068, 22510069, 22510070, 22510071, 22510072, 22510073, 22510074, 22510075, 22510076, 22510077, 22510078, 22510079, 22510080, 22510081, 22510082, 22510083, 22510084, 22510085, 22510086, 22510087, 22510088, 22510089, 22510090, 22510091, 22510092, 22510093, 22510094, 22510095, 22510096, 22510097, 22510098, 22510099, 22510100, 22510101, 22510102, 22510103, 22510104, 22510105, 22510106, 22510107, 22510108, 22510109, 22510110, 22510111, 22510112, 22510113, 22510114, 22510115, 22510116, 22510117, 22510118, 22510119, 22510120, 22510121, 22510122, 22510123, 22510124, 22510125, 22510126, 22510127, 22510128, 22510129, 22510130, 22510131, 22510132, 22510133, 22510134, 22510135, 22510136, 22510137, 22510138, 22510139, 22510140, 22510141, 22510142, 22510143, 22510144, 22510145, 22510146, 22510147, 22510148, 22510149, 22510150, 22510151, 22510152, 22510153, 22510154, 22510155, 22510156, 22510157, 22510158, 22510159, 22510160, 22510161, 22510162, 22510163, 22510164, 22510165, 22510166, 22510167, 22510168, 22510169, 22510170, 22510171, 22510172, 22510173, 22510174, 22510175, 22510176, 22510177, 22510178, 22510179, 22510180, 22510181, 22510182, 22510183, 22510184, 22510185, 22510186, 22510187, 22510188, 22510189, 22510190, 22510191, 22510192, 22510193, 22510194, 22510195, 22510196, 22510197, 22510198, 22510199, 22510200, 22510201, 22510202, 22510203, 22510204, 22510205, 22510206, 22510207, 22510208, 22510209, 22510210, 22510211, 22510212, 22510213, 22510214, 22510215, 22510216, 22510217, 22510218, 22510219, 22510220, 22510221, 22510222, 22510223, 22510224, 22510225, 22510226, 22510227, 22510228, 22510229, 22510230, 22510231, 22510232, 22510233, 22510234, 22510235, 22510236, 22510237, 22510238, 22510239, 22510240, 22510241, 22510242, 22510243, 22510244, 22510245, 22510246, 22510247, 22510248, 22510249, 22510250, 22510251, 22510252, 22510253, 22510254, 22510255, 22510256, 22510257, 22510258, 22510259, 22510260, 22510261, 22510262, 22510263, 22510264, 22510265, 22510266, 22510267, 22510268, 22510269, 22510270, 22510271, 22510272, 22510273, 22510274, 22510275, 22510276, 22510277, 22510278, 22510279, 22510280



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/11352-451 दिनांक: 12.09.2024

कार्यालय आदेश

दिनांक 11.09.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-10 (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-3, ₹15600-39100 + ग्रेड वेतन - ₹5400/-) में सहायक सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्रीमती दीपिका दास	क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर	क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर
2.	श्री संदीप कुमार शर्मा	संबद्धता शाखा, मुख्यालय	संबद्धता शाखा, मुख्यालय
3.	श्रीमती मीनाक्षी शर्मा	उत्कृष्टता केंद्र, चंडीगढ़	क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
4.	श्री हरप्रीत सिंह	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला	क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा
5.	श्री रमेश चंद डाबले (DOR - 31.01.2025)	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर

उपरोक्त अधिकारियों को दिनांक 17.09.2024 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है। उनकी पदोन्नति नवीन तैनाती स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। उपरोक्त क्र.सं. 3 तथा 4 पर अंकित अधिकारियों को दिनांक 20.09.2024 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। ऐसा नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति का प्रस्ताव स्वतः रद्द माना जाएगा और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त अधिकारियों को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार सहायक सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

कार्यालय ज्ञापन संख्या: सीबीएसई/कार्मिक बी/विविध/2019/1416 दिनांक 04.01.2019 के अनुसार उपरोक्त अधिकारी समूह 'ब' से समूह 'अ' के सहायक सचिव के पद पर पदोन्नति होने पर 02 वर्षों की अवधि के लिए परिविक्षा (probation) पर रहेंगे।

क्र. सं. 03 और 04 के अधिकारियों के लिए टीए/डीए नियमानुसार देय होगा।

(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/ (संबद्धता)/(समन्वय)/(आई.टी.)/आईएफए।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित अधिकारी।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. अध्यक्ष, अखिल भारतीय के.मा.शि.बो. एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ।
11. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)
12. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
13. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



शिक्षा केंद्र, 2, सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

Phone (off) : 011-22509256, 22509257, 22509258 Website: www.cbse.nic.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/11452-11551

दिनांक: 12.09.2024

कार्यालय आदेश

दिनांक 11.09.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, श्रीमती पूजा, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 10 (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-3, ₹15600-39100 + ग्रेड वेतन - ₹5400/-) में सहायक सचिव (राजभाषा) के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा पदोन्नति पर उनकी नवीन तैनाती हिंदी प्रकोष्ठ, मुख्यालय, दिल्ली में की जाती है।

उपरोक्त अधिकारी को दिनांक 17.09.2024 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 20.09.2024 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारी के दिनांक 20.09.2024 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त न होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित माना जाएगा। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त अधिकारी को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार सहायक सचिव (राजभाषा) के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

कार्यालय ज्ञापन संख्या: सीबीएसई/कार्मिक बी/विविध/2019/1416 दिनांक 04.01.2019 के अनुसार उपरोक्त अधिकारी समूह 'ब' से समूह 'अ' के सहायक सचिव (राजभाषा) के पद पर पदोन्नति होने पर 02 वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा (probation) पर रहेंगे।

टीए/डीए नियमानुसार देय होगा।


(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/ (संबद्धता)/(समन्वय)/(आई.टी.)/आईएफए।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित अधिकारी।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. अध्यक्ष, अखिल भारतीय के.मा.शि.बो. एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ।
11. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)
12. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
13. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/१२२३-१३२२ दिनांक: २३.06.2024

कार्यालय आदेश

दिनांक 19.06.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित अधीक्षकों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 7 (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-2, ₹9300-34800 + ग्रेड वेतन - ₹4600/-) में अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है :-

क्र.	कर्मचारी कोड	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	950	श्रीमती विजय लक्ष्मी	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा
2.	876	श्रीमती मंजू कछावा	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)
3.	878	श्रीमती सुनीता शर्मा	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)
4.	875	श्री नरेन्द्र टाक	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	संबद्धता शाखा, मुख्यालय
5.	889	श्री हरेश कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)
6.	1494	श्री अमित कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर

उपरोक्त कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2024 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 04.07.2024 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त कर्मचारियों को दिनांक 04.07.2024 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त न होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनीय है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

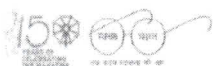
उपरोक्त कर्मचारियों को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

टीए/डीए नियमानुसार देय होगा।

(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि)/(संबद्धता)/(समन्वय)/(आई.टी.)/आईएफए।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



"शिक्षा केन्द्र", 2, समुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/9123-9222 दिनांक: 27.06.2024

कार्यालय आदेश

दिनांक 30.04.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित निजी सहायकों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 7 (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-2, ₹9300-34800 + ग्रेड वेतन - ₹4600/-) में निजी सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है :

क्र.	कर्मचारी संख्या	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	1055	श्रीमती गीता शर्मा	समन्वय शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़
2.	1273	सुश्री गीतांजलि	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर

उपरोक्त कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2024 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि) को अपनी सहमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 04.07.2024 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त कर्मचारियों के दिनांक 04.07.2024 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त न होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त कर्मचारियों को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार निजी सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

टीए/डीए नियमानुसार देय होगा।


(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/ (संबद्धता)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/8093-192

दिनांक: 22.05.2024

कार्यालय आदेश

दिनांक 20.05.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित उप सचिवो को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 13 (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-4, ₹37400-67000 + ग्रेड वेतन - ₹8700/-) में संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्रीमती सुनीता रानी	गोपनीय शाखा, मुख्यालय	गोपनीय शाखा, मुख्यालय (अगले आदेश जारी होने तक)
2.	श्री विकास अरोड़ा	एसीसीपीडी, रायबरेली	एसीसीपीडी, रायबरेली
3.	श्री अनिल कपूर	सी.टी.ई.टी एवं विविध परीक्षा इकाई, दिल्ली	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना

उपरोक्त अधिकारियों को दिनांक 27.05.2024 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमती देने के लिए निर्देशित किया जाता है। उपरोक्त अधिकारियों के दिनांक 27.05.2024 (अपराह्न) तक सहमती न देने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित माना जाएगा। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त अधिकारियों को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

चूँकि श्री अनिल कपूर सी.टी.ई.टी एवं विविध परीक्षा इकाई, दिल्ली में महत्वपूर्ण मामलों को देख रहे हैं, अतः वह अपने वर्तमान तैनाती स्थान से 16.08.2024 तक कार्यमुक्त किये जाएंगे।

टीए/डीए नियमानुसार देय होगा।


(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/ (संबद्धता)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्क्रेप फाइल/सूचना पट्ट।



शिक्षा केंद्र, 2, सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/8193-292

दिनांक: 22.05.2024

कार्यालय आदेश

दिनांक 20.05.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, श्री राधा कृष्ण बलानी, अवर सचिव, पंजीकृत कार्यालय, अजमेर को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-12 (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-3, ₹15600-39100 + ग्रेड वेतन-₹7600/-) में उप सचिव के पद पर तदर्थ (adhoc) आधार पर पदोन्नत किया जाता है तथा पदोन्नति पर उनकी नवीन तैनाती **उत्कृष्टता केंद्र, पटना** में **प्रमुख** के रूप में की जाती है।

उपरोक्त अधिकारी को दिनांक 27.05.2024 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं. विधि) को अपनी सहमती देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 31.05.2024 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारी के दिनांक 31.05.2024 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त न होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित माना जाएगा। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त अधिकारी को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार उप सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

टीए/डीए नियमानुसार देय होगा।

(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव – माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/(संबद्धता)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उत्कृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी.) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)।
11. पदधारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन (An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt. of India)
सं: के.मा.शि.बो./भर्ती प्रकोष्ठ/1(13)/2024/8393-492 दिनांक: 22.05.2024

कार्यालय आदेश

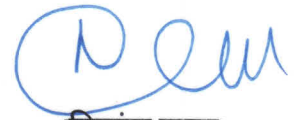
दिनांक 06.05.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर - 10 (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-3, ₹15600-39100 + ग्रेड वेतन - ₹5400/-) में सहायक सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नवीन तैनाती स्थान उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया है :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	पदोन्नति पर नवीन तैनाती
1.	श्री राकेश कुमार (स्थानांतरण नीति के खंड 4.1 (g) के तहत गंभीर विकलांगता की श्रेणी)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)	सी.टी.ई.टी एवं विविध परीक्षा इकाई, दिल्ली
2.	श्रीमती मीनाक्षी नायर	क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला	क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज
3.	श्री मोहन आर. झुरानी	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर	संबद्धता शाखा, मुख्यालय
4.	श्रीमती उषा रघुनाथन	संबद्धता शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु
5.	श्री महेश कुमार सतीजा	संबद्धता शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना
6.	श्री एम. परमासिवन	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	संबद्धता शाखा, मुख्यालय
7.	श्री आनंद प्रकाश	संबद्धता शाखा, मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे

उपरोक्त अधिकारियों को दिनांक 27.05.2024 तक संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि) को अपनी सहमती देने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 31.05.2024 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stands relieved) माना जाएगा। उपरोक्त अधिकारियों के दिनांक 31.05.2024 (अपराह्न) तक कार्यमुक्त न होने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी और उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित माना जाएगा। पदोन्नति पर की गयी तैनाती अंतिम एवं अपरिवर्तनशील है, अतः तैनाती स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त अधिकारियों को FR 22(I)(a)(1) के अनुसार सहायक सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प, कार्यग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

टीए/डीए नियमानुसार देय होगा।


(हिमांशु गुप्ता)
सचिव

वितरण :

1. अध्यक्ष के.मा.शि.बो के उप सचिव - माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सभी विभागध्यक्ष/बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक, के.मा.शि.बो।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)/ (संबद्धता)/(समन्वय)/(आई.टी.)/(आईएफए)।
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ उक्तृष्टता केंद्र/एसीसीपीडी, रायबरेली।
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर तक सभी अधिकारी।
6. अवर सचिव (आई.टी) - eHRMS में अपडेट करने हेतु।
7. सम्बन्धित डीडीओ।
8. सम्बन्धित व्यक्ति।
9. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ।
10. सम्बन्धित (एपीआर/सतर्कता/जीएसएलआई)
11. पदधारी की व्यक्ति फाइल।
12. स्कैप फाइल/सूचना पट्ट।
